# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 3266/2024**

डॉ. सज्जन सिंह मीणा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर (राज.)।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, शाहपुरा।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 08.11.2024
**आदेश की दिनांक** : 20.11.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सीताराम सामोता, अभिभाषक

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नेत्र विशेषज्ञ के पद पर राजकीय जिला चिकित्सालय, शाहपुरा में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 12.02.2015 के द्वारा हुई थी और उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपरेणा, भीलवाडा नियुक्त किया गया और आदेश दिनांक 14.08.2023 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया तथा आलोच्य आदेश दिनांक 08.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, केकडी में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी नेत्र का प्रधानाचार्य के पद पर चयन हो जाने के कारण नेत्र विशेषज्ञ का पद रिक्त हो जाने के कारण अपीलार्थी को कार्य व्यवस्थार्थ हेतु जिला चिकित्सालय, केकडी प्रत्येक सोमवार व मंगलवार को कार्य व्यवस्था हेतु अग्रिम आदेश तक लगाया गया

है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की पत्नी के सिरीजियन डिलीवरी होने के कारण भीलवाडा में भर्ती रही है, जिसका नियमित रूप से ईलाज की आवश्यकता है और परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अधिकरण द्वारा पूर्व में ऐसे मामलों में आदेश पारित किये गये हैं, जिसमें अभ्यावेदन दिये जाने का आदेश दिया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे और आलोच्य आदेश दिनांक 08.10.2024 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथावत कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नेत्र विशेषज्ञ के पद पर राजकीय जिला चिकित्सालय, शाहपुरा में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 08.10.2024 के द्वारा जिला चिकित्सालय, केकडी में अग्रिम आदेश तक लगाये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 08.10.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को मात्र प्रत्येक सोमवार एवं मंगलवार सप्ताह में दो दिवस के लिये ही लगाया गया है, चूंकि उक्त चिकित्सालय में पद रिक्त होने के कारण एवं मरीजों की आवश्यक देखभाल के लिये अपीलार्थी को अग्रिम आदेश तक लगाया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**